कार्यालय जिलाधिकारी , मथुरा ।

संख्या 918 /सात–बी/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16.5. 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ व्दारा निर्गत शासनादेश संख्या 68/3–2(6)/1979–रा0 –1 दिनांक 05–9–1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 व्दारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/16(1)–1973–राजस्व–1 दिनांक 16–6–1981 व्दारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै सर्वज्ञ राम मिश्र, जिलाधिकारी, मथुरा संलग्न सूची में उल्लिखित भूमि जो अभी तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 05–9–1986 के अनुसार सूची के स्तम्भ–5 में अंकित ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी फिर से मैं अपने अधिकार में लेता हूँ ।

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाव/ग्राम सभा का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0मे)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन) जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा	महावन	महावन	मादौर	खसरा सं0–2866व	रकवा 21.591है0 में से 0.9537है0	श्रेणी–5–1 कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) (कृषि योग्य बजर)	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (परियोजना वर्ग) के मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–1) लो0 नि0 वि0 लखनऊ के पत्राक 958/पी0जे0–11/20पी0जे0 (03)/15 दिनांक 25–3–15 व्दारा मा0 मुख्यमंत्री जी व्दारा जनपद मथुरा में दिनाक 11.3.15की घोषणा के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार कोसी नन्दगांव मार्ग से कोकिलावन पहुंच मार्ग को फोर लेन निर्माण लोक निर्माण विभाग व्दारा किये जाने के कम मे 0.9537है0 वन विभाग की आरक्षित वन भूमि को प्रयोग किया जाना है , इस आरक्षित वन भूमि के बदले 0.9537है0 गैर वन भूमि, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग,मथुरा व्दारा प्रेषित पत्रांक 2371दिनांक 15–2–2019के द्वारा उक्त भूमि का मागे जाने के क्रम मे ग्राम सभा मादौर का प्रस्ताव व उपजिलाधिकारी महावन के पत्र दिनांक 19–1–19 की संस्तुति एव पुर्नग्रहण के प्रकरणो मे जिला स्तर पर बनाई गई समिति सदस्य श्री राहुल यादव, डिप्टी कलैक्टर, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी मथुरा एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मथुरा की संस्तुति दिनाक 08–5–2019 के आधार पर उक्त घोषणा के अनुरुप जनहित मे उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु तहसील महावन स्थित राजस्व ग्राम मादौर के खाता संख्या 1338 खसरा संख्या 2866व रकवा 21.5910 है0 मे से 0.9537है0 भूमि को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी,वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिया जाना ।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

संख्या व दिनाक उपरोक्तानुसार ।

1–सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ।
2–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3–विशेष सचिव,लोक निर्माण अनुभाग–2 उ0प्र0शासन,लखनऊ।
4–प्रमुख अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, (परियोजना वर्ग)लखनऊ।
5–आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा ।
6–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, आगरा क्षेत्र आगरा।
7–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा।
8–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0मथुरा ।
9–तहसीलदार महावन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराकर उद्धरण नकल खतौनी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा कब्जा हस्तान्तरित कर दखल की प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
10–तहसीलदार छाता को इस निर्देश के साथ कि तहसील छाता के राजस्व ग्राम स्थित बठैनकलॉ के खसरा संख्या 351,352,353 भाग 1967भाग, 1978, 1979मि0, 1966 तथा 1995 में कुल 145एकड वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में से 0.9537है0 जो लो0नि0वि0मथुरा व्दारा सडक निर्माण में प्रयोग हो रही है को राजस्व अभिलेखों में "सरकारी सडक "लो0नि0वि0के नाम अमदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराकर उद्धरण नकल खतौनी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0प्रान्तीय खण्ड, मथुरा कब्जा हस्तान्तरित कर दखल की प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी,
मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा ।

(जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग)

संख्या 1517 /सात–बी/भू0व्य0/2019–20 दिनांक 27/2/ 2020

तहसीलदार

छाता

विषय : जनपद मथुरा की तहसील महावन स्थित ग्राम मादौर के गाटा संख्या 2866व रकवा 21.591 है0 में से 0.9537 है0 भूमि को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपरण हेतु दिया जाना ।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या 918/सात–बी /भू0व्य0/ 2018–19 दिनांक 16–5–2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत उपरोक्त आदेश पत्र के क्रमांक 10 पर आपको तहसील छाता के राजस्व ग्राम बठैनकलां के खसरा संख्या 351, 352, 353 भाग 1967 भाग, 1978, 1979 मि0 1966 तथा 1995 में कुल 145 एकड़ वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में से 0.9537 है0 भूमि) जो लो0नि0वि0 मथुरा द्वारा सड़क निर्माण में प्रयोग हो रही है, को राजस्व अभिलेखों में सरकारी सड़क लोक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराने हेतु आपको निर्देशित किया गया था ।

उपरोक्त निर्देशों में **आंशिक संशोधन** करते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि **"राजस्व ग्राम बठैनकलां के खसरा संख्या 351, 352, 353 भाग 1967भाग, 1978, 1979 मि0 1966 तथा 1995 में कुल 145 एकड़ वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में से 0.9537 है0 भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में अमलदरामद नहीं कराया जाना है** । लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भूमि पर केवल सड़क निर्माण कार्य किया जायेगा । **भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना है ।"** तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी
मथुरा

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा को उनके पत्र संख्या 521/सी–1 दिनांक 19–2–2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी
मथुरा

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

संख्या 111 /सात–बी/भू0व्य0/2020–21 दिनांक 7-8- 2020

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व निर्गत आदेश संख्या 918/सात–बी/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16–5–2019 के अंतर्गत जनपद मथुरा की **तहसील महावन के ग्राम मादौर में खसरा संख्या 2866व रकवा 21.591 है0 में से 0.9537 है0 भूमि** का पुनर्ग्रहण करते हुए कालम संख्या 9 में उक्त भूमि को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था जबकि इस आदेश के कालम संख्या–9 में **वन विभाग के लिये आरक्षित** का अंकन होना था ।

अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 918/सात–बी/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16–5–2019 के कालम 9 में आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त कालम में अंकित शब्द प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने के स्थान पर "**वन विभाग के लिये आरक्षित** "पढ़ा जाये ।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा

प्रतिलिपिः–

1–सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ।
2–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ।
3–अधीक्षण मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
4–प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा।
5–तहसीलदार महावन को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124208202008193

ग्राम क्रमांक : 124208 ग्राम का नाम / परगना : मादौर(बल्देव) तहसील : महावन जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनॉक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-1 / कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)							
01338	कृषि योग्य वंजर / /		320 695ख 800क 836 837 838 839 840 841 842 872क 875 880 886क 887 889 943ख 968	0.5430 0.2230 0.0650 0.1780 0.1130 0.1010 0.2140 0.1780 0.0450 0.0610 0.1420 0.4740 0.4700 1.1880 0.0400 0.0280 0.1090 0.1740			मथुरा टूण्डला पाइप लाइन उपयोग हेतु ख.1358घ/ 0.186/1375/ 0.0854 ह0ले0 3-9-02 उपजिलाधिकारी महोदय महावन के आदेश दिनांक 10.09.2018 के क्रम में खाता संख्या 1358 खसरा संख्या 2424ख/8.072, 2431मि/0.574, 2476ड/9.415 कुल 3 किता रकवा 18.061है0 नोइयत बेहड व खाता संख्या 1338 खसरा संख्या 1463क/3.096, 2432/0.251,

			973क	0.0160			2437घ/1.181, 2449/0.388, 2476ए/0.720, 2866मि/3.000है0 कुल 6 किता रकवा 8.636है0नोइयत कृषि योग्य बंजर दोनो खातो मे 9 किता रकवा 26.697है0 ग्राम समाज की जमीन वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को 10 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त पर आरक्षित की जाती है कि 10 वर्ष वाद मय वृक्षारोपण वन विभाग भूमि को ग्राम सभा के लिए हस्तान्तरित करेगा। ह0आर0के0 18.09.2018 1426फ व आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय महावन दि0 17.01.2019 के क्रम में मौजा मादौर के ख0स0 2424ख /8.072 व 2431मि/0.574 व 2476ङ/9.415है0 कुल 3 किता रकवा 18.061है0 दर्ज कागजात बेहड व ख0स0 1463क/3.096 व 2432/0.251 व 2437घ/1.181 व 2449/0.388 व
			975	0.0810			
			976ख	0.4490			
			977	0.0930			
			978ज	0.5260			
			1012क	0.1420			
			2323ख	0.2920			
			1075	0.0040			
			1076	0.0730			
			1081	0.0360			
			1085	0.1090			
			1201	0.0240			
			1275	0.0610			
			1276	0.0730			
			1325	0.0490			
			1326	0.1380			
			1341	0.4040			
			1346ग	0.0240			
			1349,ग	0.0850			
			1356	0.0810			
			1358क,मि	0.5240			
			1375ग	0.5300			
			1401	0.1660			
			1418ज	1.0190			
			1461ग	2.4610			
			1463क	3.0960			
			1472ख	1.5620			
			1479ग	2.9710			
			1623ख	0.7470			

			1633ग	0.0120			2476ण/0.720 व 2866व/3.000 है0 कुल 6 किता रकवा 8.636है0 दर्ज कागजात बंजर कुल सम्पूर्ण रकवा 26.697है0 को वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को प्रस्ताव पारित किया जाता है। किन्तु उक्त भूमि पर स्वामित्व ग्राम सभा का ही रहेगा। ह0अ0के0 17.01.2019 1426फ व कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्रांक सं.918/सात-बी/भू.व्य./2018-19 दि.16.5.19 के अनुसार ग्राम मादौर के खसरा सं. 2866 व रकवा 21.591 हे. में से 0.9537हे. को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपड हेतु पुर्न:गृहीत की जाती है। ह.र.का.28.5.19 1427फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय दि.23.10.19 के क्रम में गोर्वधन परिक्रमा मार्ग में तीर्थयात्रियों एवं ट्रैफिक को नियंत्रित करने हेतु
			1709	0.1210			
			1734	0.0400			
			1767	0.2060			
			1736	0.0400			
			1770ख	1.1620			
			1849	0.0850			
			1750	0.0610			
			1891	0.2470			
			1892	0.0120			
			1893	0.6400			
			2342ग	0.8090			
			2343	0.1010			
			2350क	0.1380			
			2351	0.0690			
			2358ख	0.0320			
			2366	0.0890			
			2367	0.0850			
			2369	0.1130			
			2370	1.0560			
			2418ग	0.0120			
			2423ख	0.2060			
			2427ग	0.5300			
			2429ख	0.1420			
			2430घ	0.0690			
			2432	0.2510			
			2433ख	0.0120			
			2434	0.2550			
			2435	0.0360			

			2436	0.1130			गिरिराज जी के चारो ओर वाहय परक्रिमा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के निर्माण में प्रभावित 0.0864 हे. आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में गैर वनभूमि के निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को दिये जाने हेतु ग्राम सभा मादौर का प्रस्ताव व उप जिलाधिकारी महावन के पत्र दि.30.9.19 की संस्तुति एवं पुर्नग्रहण के प्रकरणो में जिला स्तर पर बनाई गई समिति सदस्य प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय मथुरा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) /जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी मथुरा तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) के अभिमत के आधार पर उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु तहसील महावन स्थित राजस्व ग्राम मादौर के खाता सं.1338 खसरा सं.2866व रकवा 21.591 हे मे से रकवा 0.0864 हे.भूमि को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा हेतु दर्ज हो। ह.र.का.26.10.19
			2437घ	1.1810			
			2438	0.0890			
			2439	0.0850			
			2440	0.0120			
			2441	0.0400			
			2442	0.0240			
			2443	0.0360			
			2444	0.0650			
			2445	0.0400			
			2446	0.0120			
			2447	0.0080			
			2448	0.4500			
			2449	0.3880			
			2450	0.1050			
			2451	0.1820			
			2452	0.0810			
			2453	0.3520			
			2454	0.0280			
			2455	0.0810			
			2456	0.0400			
			2457	0.0570			
			2458	0.0450			
			2459	0.0240			
			2460	0.0490			
			2461	0.0160			
			2462	0.0080			
			2463	0.0610			
			2464	0.0490			

			2465	0.0280			1427फ व आदेश उप जिलाधिकारी महावन दि.25.1.2020 के क्रम में भू.प्र.स.मादौर ने दि.17.1.2020 को एक आवश्यक बैठक कर मौजा मादौर के खसरा सं.2866व रकबा 21.591 हे. मे से 14.00 हे. व खसरा सं. 1418ज /1.019 व 1461ग/2.461 व 1479ग/2.971 व 1770/1.162 व 2370/1.056 कुल 6 किता रकवा 22.669 हे. कृषि योग्य बंजर व खसरा संख्या 1477/0.860, 1479/1.469, 2426ख/3.992 व 2342/1.077 कुल 4 किता रकवा 7.398 हे. नवीन परती कुल क्षेत्रफल 30.067 हे. मथुरा डीग मार्ग व कोसी,नन्दगॉव , बरसाना व राया मथुरा (यमुना एक्सप्रेसवे) को फोरलेन व चौड़ीकरण हेतु वन विभाग के वृक्षो के बदले नये बृक्ष लगाने हेतु 30.067 हे. भूमि दस बर्ष के लिये केवल बृक्षारोपड हेतु प्रस्तावित किया गया है इस उक्त
			2466	0.0970			
			2467	0.0850			
			2468	0.1300			
			2469	0.0490			
			2470	0.0320			
			2471	0.0200			
			2472	0.0040			
			2473	0.0320			
			2474	0.0200			
			2475	0.0890			
			2476र	0.7200			
			2506	0.0650			
			2507	0.0360			
			2508	0.0770			
			2519	0.0570			
			2520	0.0610			
			2521	0.0850			
			2522	0.0040			
			2523	0.0040			
			2524	0.0080			
			2525	0.0730			
			2526	0.0080			
			2540	0.0200			
			2541	0.0200			
			2542	0.0360			
			2545	0.0120			
			2545	0.0120			
			2552	0.0080			

प्रभारी
तहसील महावन (मथुरा)

			2557	0.0160			भूमि का स्वामित्व ग्रामसभा का रहेगा। दर्ज हो। र.का. 25.1.2020
			2559	0.0450			
			2561	0.0200			
			2563	0.1010			1428फ कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्र संख्या-111/सात-बी/भू0व्य0 /2020-21 दिनांक 07.08.2020 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे निर्गत आदेश संख्या-918/सात-बी0/भू0व्य0 /2018-19 दिनांक 16.05.2019 के कॉलम-9 में आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त कॉलम मे अंकित शब्द प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने के स्थान पर " वन विभाग के लिये आरक्षित" पढा जाये दर्ज हो ह0आर0के0 07.08.2020
			2565क	0.2100			
			2568	0.0610			
			2577	0.0890			
			2583	0.0730			
			2584	0.0530			
			2595ख	0.1660			
			2600	0.0730			
			2836	0.0360			
			2837	0.0730			
			2838	0.1360			
			2884	0.0280			
			2888	0.0200			
			2889फ	0.0040			
			2919ख	0.0080			
			1920	0.0320			
			682मि	0.2420			
			946ख	0.4050			
			2518	0.0320			
			2566	0.0280			
			2570क	0.0400			
			2866व	21.5910			
			2873	0.1460			
			2903	0.0650			
			1747मि	0.5750			
			162	56.7940	₹ 0.00	0	8

कुल गाटे- एक छ: दो   कुल क्षेत्रफल- पाँच छ: दशमलव सात नौ चार शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: NEHA GUPTA उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।	सक्षम अधिकारी: SHAILENDRA KUMAR तहसील: महावन जनपद: मथुरा दिनांक एवं समय: 11-08-2020 02:01:25 यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भूमि कब्जा प्रमाण–पत्र

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन राक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 0.9537 हे0 गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 की पत्र संख्या–पी–142/14–2–2016–800 (136)/2016, दिनांक 14.10.2016 की शर्त संख्या–2 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा की पत्र संख्या–918/सात–वी/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16.05.2019 के द्वारा समतुल्य भूमि ग्राम सभा मादौर, परगना–महावन, तहसील–महावन, जिला–मथुरा के गाटा संख्या–2866य के रकबा 21.591 हे0 में से 0.9537 हे0 भूमि का कब्जा आज दिनांक 22.05.2020 को लोक निर्माण विभाग के श्री राकेश कुमार, जूनियर इंजीनियर, श्री आर0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, श्री कुँवर आशीष, अवर अभियन्ता, वन विभाग के श्री प्रवीण तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बल्देव श्री जीतेश यादव, वनदरोगा एवं श्री महेन्द्र सिंह, वनरक्षक तथा राजस्व विभाग श्री चुन्नी लाल, लेखपाल, श्री राजेन्द्र, लेखपाल, श्री ओंरावाल यादव, कानूनगो एवं तहसीलदार महावन श्री सुभाषचन्द्र यादव के द्वारा नपत कर वन विभाग को कब्जे में दी गई ।

कब्जा देने वाले भूमि की जी0पी0एस0 रीडिंग

N-27°16'27.0" E-77°57'47.0"	N-27°16'20.0" E-77°57'49.0"
N-27°16'15.0" E-77°57'50.0"	N-27°16'17.0" E-77°57'53.0"

कब्जा देने वाले

1–श्री चुन्नी लाल लेखपाल

2–श्री राजेन्द्र लेखपाल

3–श्री ओंरावाल यादव कानूनगो,

4–श्री सुभाषचन्द्र यादव, तहसीलदार–महावन ।

22.05.2020

कब्जा प्राप्त करने वाले

1–श्री महेन्द्र सिंह, वनरक्षक

2–श्री जीतेश यादव, वनदरोगा

3–श्री प्रवीण तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बल्देव ।

समक्ष

(राकेश कुमार) जूनियर इंजीनियर

(आर0पी0सिंह) सहायक अभियन्ता

(कुँवर आशीष) अवर अभियन्ता

Scanned with CamScanner

जो० च० आकार-पत्र ४१

(नियम ६३) ६२२

तुलनात्मक [illegible] (नई मुताबिक)

गाँव ... मादोर ... परगना ... [illegible] ... तहसील ... महावन ... जिला मथुरा

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुराना संख्या	क्षेत्रफल	नई खाता खतौनी संख्या	मूल्यांकन की भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई की साधन	विशेष [illegible]
२८६४	०.२५	६४९२	०.२५	६६५	प्रथम खाकी	असिंचित	
२८६५	०.२७	६४९७	०.७१	६३५	प्रथम खाकी	—	[illegible]
२८६६ क	३२३.२३	६३२३/१	१.०३	१०६	प्रथम खाकी	असिंचित	
ख		६३२३/१	१.८६	८१६	प्रथम खाकी	असिंचित	
ग		६३२३/१	३.८२	५८	प्रथम खाकी	असिंचित	
घ		६३२३/१	५.५४	५९७	प्रथम खाकी	असिंचित	
ङ		६३२३/१	१०.३६	४३	प्रथम खाकी	असिंचित	
च		६३२३/१	०.७७	१२०	प्रथम खाकी	असिंचित	
छ		६३२३/१	२.००	१४४	प्रथम खाकी	असिंचित	
ज		६३२३/१	५.८६	५१७	प्रथम खाकी	असिंचित	
झ		६३२३/१	८६.६५	६१५	प्रथम खाकी	असिंचित	
ञ		६३२३/१	०.३६	८६	प्रथम खाकी	असिंचित	
ट		६३२३/१	४.३७	२५८	प्रथम खाकी	असिंचित	
ठ		६३२३/१	०.४९	३६०	प्रथम खाकी	असिंचित	
ड		६३२३/१	५.६६	४६२	प्रथम खाकी	असिंचित	
	३२३.६०	६३२३/१					
		६३२३/१	कृषिक			अकृषिक	

असिंचित ३२३.४१ ग्रा०स० अकृषिक ०.१९

[illegible signatures and stamps]

तहसीलदार महावन (मथुरा)

सी० एच० फार्म ... [illegible]

(नियम ...)

[illegible] ६२५

ग्राम ... मांडौर ... परगना ... [illegible]

तहसील ... राधाकुंड ... जिला ... मथुरा

नम्बर	उपखण्ड	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	नई गाटा संख्या	मिट्टी की किस्म (Soil Class)	सिंचाई के साधन	विशेष विवरण
ढ		५३५४३१	१.८५	५२६	प्रकारस्वामी	असिंचित	
ण		५३५४३१	६.७६	४२१	प्रकारस्वामी	असिंचित	
त		५३५४३१	०.३५	६२१	प्रकारस्वामी	असिंचित	
थ		५३५४३१	१.८३	६२४	प्रकारस्वामी	असिंचित	
द		५३५४३१	०.७९	५२६	प्रकारस्वामी	असिंचित	
ध		५३५४३१	२.६६	१२२	प्रकारस्वामी	असिंचित	
न		५३५४३१	८.३२	६२८	प्रकारस्वामी	असिंचित	
प		५३५४३१	०.४६	८५०	प्रकारस्वामी	असिंचित	
फ		५३५४३१	०.४३	८३५	प्रकारस्वामी	—	नवीन चकों
ब		५३५४३१	[illegible]	८३४	प्रकारस्वामी	—	कार
भ		५३५४३१	०.६३	५३७	प्रकारस्वामी	—	अनुनावी
म		५३५४३१	०.१६	८४०	प्रकारस्वामी	—	रास्ता
य		५३५४३१	३३.३८	८४१	प्रकारस्वामी	—	मेंढ

तहसीलदार
महावन (मथुरा)

राजकुमार
लेखपाल
तहसील महावन जिला मथुरा

चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर

चकबन्दीकर्ता के हस्ताक्षर

सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर

विशेष । पता—स्तम्भ ५ नई खतौनी तैयार हो जाने पर भरा जायगा।

जोत चकबन्दी आकार पत्र–४५

(नियम ९७)

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा २७ के अधीन तैयार की गई खतौनी

१२९

गांव ५ मांठ परगना महावन तहसील महावन जिला मथुरा

खतौनी खाता की क्रम संख्या	खातेदार का नाम पितृ नाम तथा निवास स्थान	जोत प्रारम्भ होने का वर्ष	नई गाटा संख्या	क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	कृषि योग्य बंजर		२६५९	०-१८		
			२६८५ग	२-००		
			२६८८	०-२२		
			२६८९	०-८०		
			२८३५	०-०९		
			२८३६	०-१८		
			२८३८	०-३२		
			२८५५ क	१२७ [illegible]		
			२८५६	०-४०		
			२८५८ ख	०-१०		
			२८५९	०-०९		
			२८६०	०-४०		
			२८६१	०-३५		

सत्यप्रतिलिपि
कार्यालय

राजकुमार (लेखपाल)
तहसील-महावन जिला-मथुरा

तहसीलदार
महावन (मथुरा)

दयाल प्रेस, छीपीटोला, आगरा फोन : ७३६०१

नक्शा नजरी ग्राम -मादौर तह०-महावन जनपद -मथुरा
बावत खसरा सं. 2066 व क्षेत्र 0-9537 है० हेतु

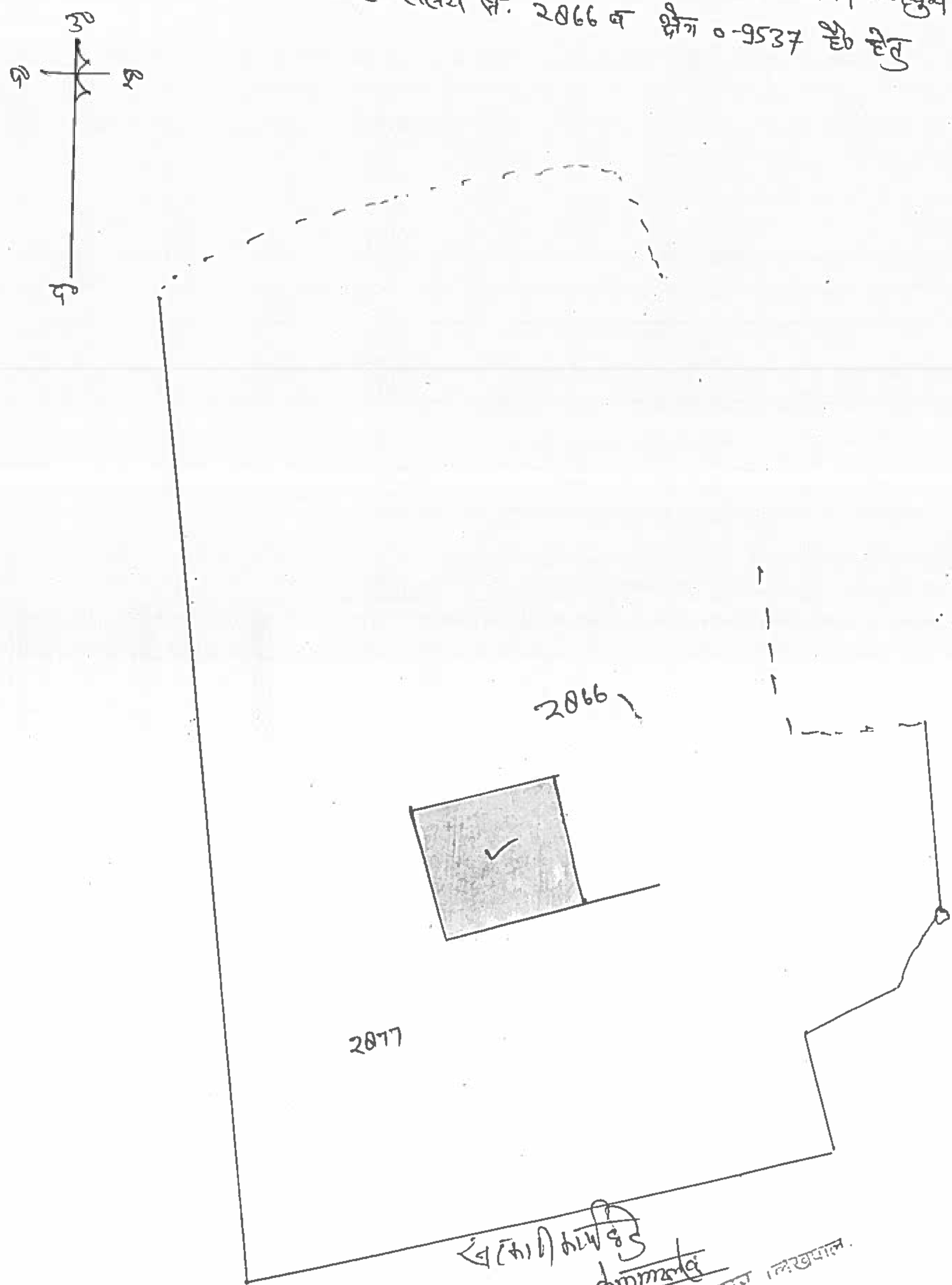

राजकुमार लेखपाल
क्षेत्र..... मादौर
तहसील-महावन जिला-मथुरा

Georeferenced Map Of Reserved Forest Land For Compensatory Afforestation (CA) Plantation in Forest Block: Madaur, District : Mathura, Against Proposed forest land to be diverted for Widening and Strengthening of Kokilavan Road (1.993Km) in District: Mathura. (Uttar Pradesh)

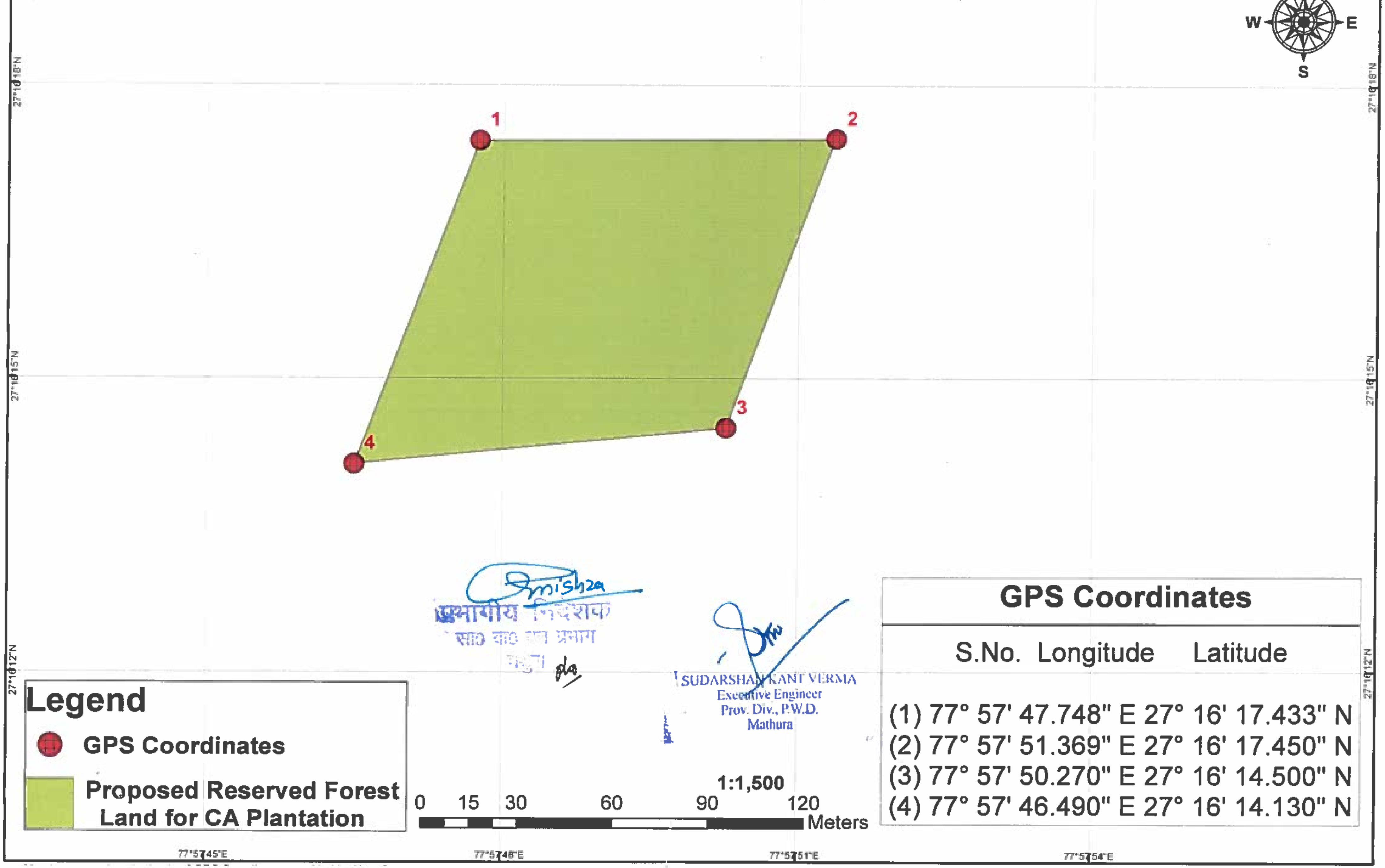

GPS Coordinates

S.No.	Longitude	Latitude
(1)	77° 57' 47.748" E	27° 16' 17.433" N
(2)	77° 57' 51.369" E	27° 16' 17.450" N
(3)	77° 57' 50.270" E	27° 16' 14.500" N
(4)	77° 57' 46.490" E	27° 16' 14.130" N

निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G43F15

Scale 1:50,000

G43F10 (54E/10) Mathura UTTAR PRADESH	Aligarh UTTAR PRADESH G43F14 (54E/14)	G44A2 (54I/2) Mahāmāya Nagar UTTAR PRADESH
G43F11 (54E/11)	G43F15 (54E/15)	G44A3 (54I/3)
Bharatpur RĀJASTHĀN G43F12 (54E/12)	G43F16 (54E/16) Āgra UTTAR PRADESH	G44A4 (54I/4)

1 Aligarh, UTTAR PRADESH.
2 Etah, UTTAR PRADESH.
3 Firozābād, UTTAR PRADESH.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

1st Edition 2013. Price: ₹ 94/-

CONVENTIONAL SYMBOLS

Legend

Proposed Forest Land for CA Plantation

REFERENCES

NH 2 National Highway No. 2
PWD Public Works Department.

NOTES :-

Heights are in metres and above Indian mean sea level.
Contours are approximate.
Tanks, shown dry in this area, usually contain water from July to December.
Tube-wells are numerous throughout the sheet, only the important ones have been shown.
Unmetalled roads and cart-tracks in this sheet are generally motorable in dry season. Permission to use those along canals is required from Irrigation authorities.
The kilometre stone numbers along the railway, road and canals are shown in slant type, e.g., '5' whereas milestone numbers are shown in upright type, e.g., '5'.

COMPILATION INDEX

A Surveyed during 1985-86. Updated for major details during 2005-06.

Projection – UTM Datum – WGS 84

Magnetic Variation from True North about $\frac{1}{4}^{\circ}$ East in 2005.

1:50,000

500 m to 1 cm 2 cm to 1 km

CONTOUR INTERVAL 10 METRES

For further details about this map, please contact
Director
Uttarākhand & West Uttar Pradesh Geo Spatial Data Centre
Survey of India, 17 E.C. Road, Karanpur
Dehra Dūn.

WEBSITE – www.surveyofindia.gov.in